

डाड़ी, मोटरसाइकिल कराया, केस दर्ज

स)। थाना तीन पुलिस ने
बिना पार्किंग इंडिकेटर
र खड़े करने के चलते
गलक गाड़ी में जोरदार जा
दौरान मोटरसाइकिल
हो गया। जिसकी सूचना
दे दी गई। जख्मी हुए
गलक को इलाज के लिए
भर्ती कराया। जिसकी
द के रूप में हुई है।
मुताबिक शिकायतकर्ता
साइकिल चालक के भाई
पुलिस को बताया कि वह
पने परिवार सहित रहता
लिंग का काम करता है।
मोटरसाइकिल चालक
है और गुरुप्रसाद सेक्टर
मास्टेर्व्य में स्थायी के

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर रोडवेज बसों के काटे चालान

चंडीगढ़ (अप्रस)। चंडीगढ़ ट्रैफिक
पुलिस द्वारा रोडवेज बसों द्वारा
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने को
लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक
विशेष अभियान शुरू किया गया था।
ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोडवेज बसों के
चालकों और परिचालकों को
यातायात नियमों का पालन करने को
लेकर जागरूक भी किया गया था।
ट्रैफिक पुलिस द्वारा बाद में 16
अगस्त तक रोडवेज बसों द्वारा
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने को
लेकर कुल 263 चालान किए गए।
जिसमें रॉन्ग स्टॉपिंग, लेन/
ड्राइविंग, जिगजैग ड्राइविंग आदि
शामिल है।